बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 64

आलू पर बवाल

पेप्सिको का गुजरात में वह दांव उलटा पड़ गया जिसमें कंपनी ने गुजरात के चार किसानों पर अदालती कार्रवाई की शुरुआत की थी क्योंकि उन्होंने कथित रूप से आलू की उस किस्म की खेती की थी जिसका पंजीयन कंपनी के पास है। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स के पास एफसी-5 किस्म के आलू के उत्पादन अधिकार हैं। कंपनी इस आलू का इस्तेमाल 'लेज' ब्रांड के चिप्स बनाने में करती है। कंपनी ने आरोप लगाया कि ये किसान गैर कानूनी तरीके से इस आलू का उत्पादन कर रहे थे। उन्होंने पंजाब के लाइसेंसशुदा किसानों ने इस किस्म के बीज हासिल किए थे। हालांकि अहमदाबाद की वाणिज्यिक अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर किसानों को आलू की यह किस्म उगाने से रोक दिया है लेकिन इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्होंने पेप्सिको को विचलित कर दिया है। अब कंपनी ने मामला अदालत से बाहर सुलटाने की पेशकश की है। आश्चर्य नहीं कि किसान संगठनों, किसान अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने तत्काल किसानों का समर्थन किया। उनका कहना है कि कंपनी ने उन किसानों को अनावश्यक निशाना बनाया जो दूसरे किसानों से बीज लेकर खेती करने की अपनी सदियों पुरानी परंपरा का पालन भर कर रहे थे।

पेप्सिको ने सरकारी प्रयोगशालाओं के हवाले से कहा कि आलू के इन बीजों में एफसी-5 किस्म का डीएनए मौजूदा था लेकिन केवल इतने भर से किसानों को पेप्सिको के अधिकार का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता। किसानों से सहानुभूति रखने वालों में से कई ने पेप्सिको को चेतावनी दी कि अगर कंपनी ने अपने कदम वापस नहीं लिए तो कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को इसकी कीमत चुकानी होगी। पेप्सिको मुख्यालय के अधिकारी और उसके एशिया प्रशांत कार्यालय ने कंपनी के कारोबार पर इसके संभावित असर को गंभीरता से लेते हुए अपनी भारतीय अनुषंगी कंपनी को सलाह दी है कि वह इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाए। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि पेप्सिको इंडिया ने अपना रुख नरम किया है और अगर किसान बिना लाइसेंस इस किस्म का आलू उगाने से परहेज करने या लाइसेंस लेने को तैयार हों तो वह मसले को हल करना चाहती है।

हालांकि किसान जन समर्थन से उत्साहित हैं और उन्होंने कंपनी की शर्त ठुकरा दी है। बल्कि उन्होंने पेप्सिको पर आरोप लगाया है कि वह प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज ऐंड फार्मर्स राइट्स एक्ट का उल्लंघन कर रही है। इस कानून का लक्ष्य है पौधों की बेहतर प्रजातियों के विकास और उत्पादन को प्रोत्साहन देना। कई अन्य देशों के पौध संरक्षण कानूनों के इतर भारत में इस उद्देश्य के लिए बना कानून कई मायनों में विशिष्ट है, खासतौर पर किसानों के पारंपरिक अधिकारों और उनके द्वारा सदियों से अपनाई जा रही परंपराओं के संरक्षण के क्षेत्र में। महत्त्वपूर्ण है कि ऐसा करते हुए बौद्धिक संपदा से संबंधित वैश्विक समझौते का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज ऐंड फार्मर्स राइट्स एक्ट की धारा 39 किसानों को इजाजत देती है कि वे बीज समेत अपनी उपज को बचाएं, इस्तेमल करें, बोएं, अदला-बदली करें, साझा करें या बेचें। इकलौती बात यह है कि खुद उगाए गए बीजों को पंजीकृत ब्रांड नाम के तहत नहीं बेचा जा सकता। धारा 42 भी उतनी ही अहम है जिसमें किसानों को उस स्थिति से बचाव मुहैया कराया गया है जो किसी किस्म के पंजीयन के बारे में जानकारी नहीं होने से पैदा होती है। ऐसे में पेप्सिको के लिए बेहतर यही होगा कि वह बिना शर्त मामला वापस ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर कंपनी के कारोबार पर तो पड़ेगा ही, किसानों के साथ साझेदारी के इच्छुक अन्य कारोबारी घरानों को भी नुकसान होगा।

अजय मोहंती

बीआरआई पर चीन ने बदली चाल

ढांचागत विकास को लेकर चीन की महत्त्वाकांक्षी पहल बीआरआई को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच उसने अपने रुख में नरमी लाने के संकेत दिए हैं। बता रहे हैं हर्ष वी पंत

पिछले हफ्ते चीन ने बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपनी इस ढांचागत विकास पहल को पूरी दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए कहा है कि 'भले ही बीआरआई की शुरुआत चीन ने की थी लेकिन इससे पैदा होने वाले अवसर और परिणाम सारी दुनिया के लिए हैं।' बीआरआई सम्मेलन में व्यक्त इस उद्गार में सबसे उल्लेखनीय बात चिनफिंग के वक्तव्य में विनम्रता का नजर आना था जबकि 2017 में हुए पहले सम्मेलन में मिजाज काफी हद तक अभिमान से भरा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में चीन की परियोजनाओं को लगे अवरोधों ने चिनफिंग को इस साल यह मानने के लिए बाध्य कर दिया कि चीन बीआरआई की परियोजनाओं में मान्य नियमों एवं मानकों को लागू करेगा ताकि ऊंचा मानदंड, लोगों के लिए लाभदायक और टिकाऊ होना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, 'हम यह तय करेंगे कि निर्माण, परिचालन, बिक्री एवं निविदा प्रक्रिया से जुड़ी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय नियमों एवं मानदंडों का पालन करें और उन देशों के नियमों का सम्मान करें।'

बीआरआई फोरम में 36 देशों के शासन प्रमुखों ने शिरकत की। इस तरह चीन अफ्रीका एवं यूरोप जैसे दुनिया के बड़े हिस्सों तक अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाने में सफल रहा है। गत मार्च में इटली इस पहल का हिस्सा बनने के साथ ही संपन्न देशों के समूह जी-7 का पहला सदस्य बन गया। उसके बाद लक्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड भी बीआरआई में शामिल हो गए। चीन ने जी-17 प्लस ग्रीस समूह के साथ भी बड़े ढांचागत करार पर हस्ताक्षर कर पूर्वी एवं मध्य यूरोप को भी अपने दायरे में ले लिया है। चीन अप्रैल की शुरुआत में संपन्न दूसरे अरब सुधार एवं विकास फोरम के जरिये 'बेल्ट एवं रोड का निर्माण करो और विकास एवं समृद्धि साझा करो' के संदेश के साथ अरब दुनिया तक पहुंच चुका है। मार्च में चीन और रूस 'ध्रुवीय रेशम मार्ग' की दिशा में पहले गंभीर कदम बढ़ाते हुए नजर आए थे।

हालांकि मौजूदा समय में दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया क्षेत्र ही बीआरआई के केंद्र में हैं और उन्होंने इस परियोजना को पूरे मन से गले लगाया है। यूरोप महाद्वीप के बड़े सत्ता केंद्रों में चीन की इस पहल को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बावजूद अब यूरोप भी अधिक महत्त्वपूर्ण बनकर उभरा है। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद अफ्रीका, लातिन अमेरिका और पश्चिम एशिया अब भी बीआरआई के लिए उतने अहम नहीं बन पाए हैं जितना उसके कर्ताधर्ताओं ने सोचा होगा। भारत की आपत्तियों को देखते हुए दक्षिण एशिया का इलाका अब भी दूर की कौड़ी लग रहा है। पिछले हफ्ते हुए बीआरआई सम्मेलन में दक्षिण एशिया से केवल पाकिस्तान एवं नेपाल की सरकारों के मुखिया ही शरीक हुए थे।

जहां चीन के राष्ट्रपति ने बीआरआई फोरम की बैठक में 64 अरब डॉलर मूल्य से अधिक के करारों पर दस्तखत होने को लेकर लंबे-चौड़े दावे किए वहीं उन्हें यह मानने के लिए भी बाध्य होना पड़ा कि वर्ष 2013 में इस पहल की संकल्पना रखे जाने के बाद से यह परियोजना विवादों में उलझी रही है। अमेरिका पहली बीआरआई बैठक में शिरकत करने के बावजूद इसकी परियोजनाओं में 'वित्त जुटाने के अपारदर्शी तरीकों, खराब कामकाज और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों एवं मानदंडों के प्रति असम्मान' को लेकर चिंताएं जताता रहा है। इस बार तो उसने बैठक में अपने किसी आला अधिकारी को भेजने से भी मना कर दिया। जिस एकतरफा ढंग से इस परियोजना की संकल्पना की गई और उसका खाका खींचा गया, उसे लेकर दुनिया भर में आलोचना होती रही है। आलोचकों का यह कहना रहा है कि बीआरआई असल में पूरी दुनिया पर चीन के प्रभाव को मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा है जिसमें तमाम देश चीन के 'कर्ज के जाल' में फंसकर उस पर वित्तीय रूप से आश्रित हो जाएंगे।

दरअसल बीआरआई के जरिये चीन जिस नियामकीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वह परियोजना की वित्तीय एवं पर्यावरणीय वहनीयता संबंधी सवालों को लेकर खासी समस्यापरक रही है। अब ये सवाल विमर्श के केंद्र में आने लगे हैं। दुनिया भर के देशों ने बहुत मजबूती से अपनी आपत्तियां रखी हैं और चीन को उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरे बड़े देशों ने भी अपने स्तर पर ढांचागत पहल शुरू करने के प्रस्ताव रखे हैं।

इसी के साथ यह भी सच है कि चीन ने पूरी दुनिया को ढांचागत विकास के मोर्चे पर मौजूद बड़ी खाई की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए बाध्य कर दिया है। ढांचागत सुविधाओं की कमी ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को अपनी चपेट में लिया हुआ है और विकसित दुनिया भी यह मानने पर मजबूर हुई है कि एक वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पेश करने में उसकी भी सीमाएं हैं। अगर चीन के इस मॉडल पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं तो भारत समेत दूसरी बड़ी शक्तियों के लिए यह विश्वसनीय एवं टिकाऊ विकल्प पेश कर रिक्त स्थान की भरपाई करने के अवसर भी पैदा करता है। भारत ने इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए भी हैं। संपर्क एवं आधारभूत ढांचे की मांग काफी अधिक है और कोई भी अकेली ताकत उसे पूरा कर पाने की हैसियत में नहीं है। इसके लिए एक वैश्विक प्रयास की जरूरत होगी। भले ही चीन ऐसा न चाहे लेकिन बहुआयामी दृष्टिकोण ही इस समस्या से निपटने का इकलौता तरीका है।

बीआरई फोरम की पिछले हफ्ते संपन्न बैठक में चिनफिंग ने इस पहल के पीछे अपने देश की अच्छी मंशा और पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता को रेखांकित करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि चीन उच्च गुणवत्ता वाला टिकाऊ, जोखिम-रोधी, किफायती लागत वाला और समावेशी ढांचा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा लगता है कि चिनफिंग को यह बात समझ में आ गई है कि बीआरआई को लेकर उनका शुरुआती रवैया उलटा पड़ गया है और अब वह उसमें सुधार करना चाहते हैं। सवाल यह है कि चीन की महत्त्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने में बाकी दुनिया कितनी दूर तक जा सकती है?

(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली में निदेशक-अध्ययन और किंग्स कॉलेज लंदन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं)

आरटीआई अधिनियम की उलझन में फंस गया आरबीआई

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए अप्रैल का महीना उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामलों में बहुत सुखद नहीं रहा है। गत 2 अप्रैल और 26 अप्रैल को जारी शीर्ष अदालत के दो आदेश आरबीआई को यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि बैंकों के नियमन की राह पर उसे किस तरह कदम बढ़ाना चाहिए?

उच्चतम न्यायालय ने 2 अप्रैल को आरबीआई के उस परिपत्र को निरस्त कर दिया जिसे 12 फरवरी 2018 को जारी किया गया था। उस परिपत्र में बैंकों के लिए कर्ज भुगतान में एक दिन की भी देरी करने पर कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने संबंधी मानक तय किए गए थे। इस परिपत्र को निरस्त करने का फैसला फंसी परिसंपत्तियों के खिलाफ जारी आरबीआई की मुहिम के लिए एक झटका था।

आरबीआई इस फैसले के बाद अब संशोधित परिपत्र को अमलीजामा पहनाने में जुटा हुआ है। समझा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक का शीर्ष प्रबंधन इस बात को लेकर फिक्रमंद होगा कि उसके संशोधित परिपत्र पर उच्चतम न्यायालय किस तरह देखेगा और भविष्य में किसी तरह की विपरीत टिप्पणियों से बचने के लिए उसे क्या एहतियात बरतनी चाहिए? यह भी देखना होगा कि नए परिपत्र को कर्जदार किस तरह देखते हैं और कहीं उसे भी अदालत में चुनौती तो नहीं दी जाएगी?

शीर्ष अदालत के 26 अप्रैल को जारी आदेश ने भी आरबीआई को असहज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में आरबीआई को दोषी नहीं ठहराया है लेकिन बैंकों की वार्षिक पर्यवेक्षण रिपोर्ट (एआईआर) के बारे में जानकारियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत लाने और इन रिपोर्टों के खुलासे से संबंधित अपनी नीति वापस लेने का उसे अंतिम मौका दिया है। आरबीआई ने दलील दी थी कि बैंकों की एआईआर की सूचनाओं को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों 1(डी) और 1(ई) के तहत छूट मिली हुई है। यह आरबीआई की अपनी ही खुलासा न करने की नीति का उल्लंघन होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जानकारी देने से छूट के प्रावधान वाले ये उपबंध उन जानकारियों पर लागू नहीं होते हैं जिन्हें याचियों ने आरटीआई अधिनियम के तहत मांगा है।

आखिर गड़बड़ी कहां हो गई? पहली बात, आरबीआई का अपनी ही खुलासा नीति के तले शरण लेने की सोच गलत थी और उसे कानूनी समर्थन भी नहीं था। यह भी सच है कि आरबीआई अधिनियम की धाराएं 45-ई और 45-एनबी एक बैंक के ऋण एवं अन्य लेनदेन से संबंधित सूचनाएं किसी से भी साझा करने की इजाजत आरबीआई को नहीं देती हैं। लेकिन आरटीआई अधिनियम का अधिक बड़ा दायरा और प्रासंगिकता है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 22 आरबीआई अधिनियम की धारा 45ई और 45एनबी को अध्यारोपित कर देती है। धारा 22 कहती है, 'इस अधिनियम के प्रावधान सरकारी गोपनीयता कानून 1923 और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के साथ असंगत होंगे।' ऐसा लगता है कि आरटीआई कानून के तहत सूचना देने से मना करने के अपने फैसले के बचाव में आरबीआई ने अपनी खुलासा नीति का हवाला देने में असावधानी दिखाई। आरटीआई अधिनियम की धारा 22 बाकी सभी कानूनों को अध्यारोपित करने की ताकत देती है।

बड़ा सवाल यह है कि सर्वोच्च अदालत का ऐसा क्यों मानना था कि एआईआर के खुलासे को 'वाणिज्यिक भरोसे समेत सूचना' या 'विश्वासपरक संबंध में उपलब्ध सूचना' के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इस सूचना के जारी होने से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्द्धी हैसियत प्रभावित हो सकती है और सामान्यत: उन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आरबीआई ने बैंकों की एआईआर में संकलित सूचनाओं के उन हिस्सों को अलग रखकर बाकी जानकारियों को साझा करने के बारे में कभी सोचा जो वाणिज्यिक भरोसे एवं विश्वासपरक संबंध का उल्लंघन न करते हों?

अब भी यह साफ नहीं है कि आरबीआई ने सार्वजनिक हित के नजरिये से इस मामले को देखा था या नहीं। आरटीआई अधिनियम कहता है कि वाणिज्यिक भरोसा या विश्वासपरक संबंध को कमतर करने वाली सूचना फिर भी उस स्थिति में साझा की जा सकती है जब एक सक्षम प्राधिकारी यह तय करे कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसा खुलासा किया जाना जरूरी है।

ऐसे निर्णय कर सकने वाले सक्षम प्राधिकारी में राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और केंद्रशासित क्षेत्र का प्रशासक शामिल होता है।

ऐसा लगेगा कि आरटीआई कानून के अनुपालन संबंधी सवाल पर आरबीआई का रवैया कानून के विभिन्न प्रावधानों की समुचित जानकारी से प्रभावित रहा है। अगर आरटीआई कानून की धारा 22 बाकी सब पर भारी पड़ती है तो फिर आरबीआई को अपने बचाव में खुलासा नीति का जिक्र क्यों करना चाहिए था?

अगर आरटीआई कानून के तहत मांगी गई कुछ जानकारी वाणिज्यिक भरोसे या विश्वासपरक संबंध को कम करती है तो उस हिस्से को अलग करने के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल क्यों न किया जाए? आरबीआई ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनमनीय रुख अपनाकर बैंकों और वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को लेकर न चाहते हुए भी समस्या खड़ी कर दी है।

कानाफूसी

आग और अफवाह

मंगलवार को नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में आग लग गई। इस इमारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय समेत कई केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा तत्काल आग बुझाने के काम में लग गई लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुटकी लेने का अवसर मिल चुका था। उन्होंने ट्वीट किया, 'मोदी जी, फाइलें जलाने से आप बचने वाले नहीं हैं। फैसले का दिन करीब आ रहा है।' वहीं अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आग में कोई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नहीं जला है। एक अधिकारी ने कहा कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कूलर के कचरे और बिजली के तारों में आग लगी थी लेकिन इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। बहरहाल, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें बनानी शुरू कर दीं। यह भी कहा गया कि आग में कई अहम फाइलें जला दी गईं।

रायचंदों का शहर

मध्य प्रदेश का धार जिला पिछले दिनों एक दिलचस्प वजह से सुर्खियों में रहा। दरअसल इस आदिवासी बहुल जिले के लोगों ने निर्वाचन आयोग के कॉल सेंटर में फोन करके सलाह देने के मामले में प्रदेश के अन्य जिलों को काफी पीछे छोड़ दिया। जिले से करीब 1700 लोगों ने निर्वाचन आयोग को फोन किया। इनमें से केवल 72 लोगों के फोन शिकायती थे जबकि तकरीबन 659 लोगों ने किसी न किसी तरह की सलाह देने के लिए आयोग को फोन किया। इसके अलावा 223 लोगों ने चुनाव के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए फोन किया। आंकड़े बताते हैं कि अपेक्षाकृत पिछड़ा जिला होने के बावजूद धार के लोग राय देने के मामले में अव्वल रहे। हालांकि इंदौर 6,000 से अधिक फोन कॉल्स के साथ अव्वल नंबर पर रहा। इनमें से 5,765 फोन चुनाव संबंधी जानकारी जुटाने के लिए किए गए।

आपका पक्ष

चुनाव से गायब होते जनहित के मुद्दे

लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। चार चरणों के मतदान के बाद भी जनहित के कई सारे मुद्दे गायब हैं। चुनाव में यह अपेक्षा रहती है कि लगभग सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर पुरजोर बहस होगी। समस्याओं से निपटने के लिए उन पर चर्चा होगी। लेकिन मौजूदा आम चुनाव में ये सब मुद्दे दूर नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सामाजिक और आर्थिक समस्या नहीं रह गई है। चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष, इन सभी मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। लंबे-चौड़े भाषणों में आम समस्याओं के मुद्दे विलुप्त होते नजर आते हैं। बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून के अलावा वर्तमान में प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि बड़ी समस्या है। यह समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि लगभग सारे देशों की है। विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के शीर्ष 20 में से 13 शहर हैं। उस सूची के पहले 7 शहर सिर्फ भारत के ही हैं। यह समस्या सिर्फ वायु प्रदूषण की ही नहीं बल्कि जल, मृदा, ध्वनि सभी प्रदूषण की समस्याओं से है। इसे भारत गंभीर रूप से झेल रहा है लेकिन इस समस्या पर कोई भी राजनेता बात नहीं करता है। नार्वे पिछले कई दशक से प्रदूषण की समस्या से परेशान था। वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ

लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण का मतदान क्रमशः 6, 12, 19 मई को होगा

जनआंदोलन चलाया। इसके बाद सरकार को विवश होकर नए कानून बनाने पड़े। भारत में भी सरकार को बाध्य करें कि वह प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए नए कानून तथा नए प्रावधान बनाए। देश में जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं की जड़ है और विकासशील देशों के लिए यह अभिशाप है। ऐसे देशों में आर्थिक कार्यक्रम तथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का तेज गति से विकास नहीं हो पाता है। परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ने से ग्रामीण तथा नगरीय दोनों जगह कठिनाइयां बढ़ती हैं। ऐसी दशा में मकानों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जाती है जिससे परिवार निम्न स्तर का जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं।

अभिषेक पाल, गोरखपुर

महिला सांसदों की संख्या बढ़े

देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और यह चुनाव एक ऐसा अवसर लेकर आया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लोगों को उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। दलों को भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उम्मीदवार बनाना चाहिए। हालांकि संसद में महिला प्रतिनिधित्व संबंधित 33 प्रतिशत आरक्षण तो है। लेकिन इस पर अभी तक पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है जिससे संसद में महिलाओं की संख्या कम है। वर्तमान में आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग चुनाव के लिए नामांकन कर रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव जीत भी जाते हैं और उन्हें कोई पद भी मिल जाता है। पार्टियों के घोषित उम्मीदवारों की सूची पर निगाह डालें तो मालूम पड़ता है कि इस चुनावी संग्राम में भी लगभग सभी पार्टियों ने पर्याप्त महिला प्रत्याशी नहीं खड़ी की हैं। आवश्यकता उन महिला प्रतिनिधियों को चुनने की है जो वंचित तबके से आती हैं।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।